

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 14/2018

तारीख

01. भंवरलाल पिता कैला जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कल्यापुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. मोहन पिता गोकल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. राधेश्याम पिता गोकल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. गोपाल पिता गोकल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक 23/4/2018

प्रार्थना पत्र भंवरलाल पिता कैला जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कल्यापुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम थडोदा पटवार हल्का थडोदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 284 पर अंकित आराजी संख्या 1243, 1244, 1245 कुल किता 03 रकबा 1-11 बीघा पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमीश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम थडोदा पटवार हल्का थडोदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 284 पर अंकित आराजी संख्या 1243, 1244, 1245 कुल किता 03 रकबा 1-11 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।  
आदेश सुनाया गया

  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा